

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर  
पीठासीन अधिकारी— श्री राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

फौजदारी विविध प्रकरण संख्या 02/2017

सायल

बनाम

गैरसायल

जिला पुलिस अधीक्षक,  
बाड़मेर

नरेन्द्र उर्फ पप्पु पुत्र मोहनलाल  
जाति नाई निवासी समदड़ी रोड़  
बालोतरा जिला बाड़मेर

**परिवाद अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975**

- उपस्थित:— 1. श्री दौलतराम, अभियोजन अधिकारी सायल की ओर से।  
2. श्री स्वरूपसिंह भदरू, अधिवक्ता गैर सायल की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 16.12.2019

1. सायल की ओर से दिनांक 18.07.2017 को गैर सायल नरेन्द्र उर्फ पप्पु पुत्र मोहनलाल जाति नाई निवासी समदड़ी रोड़ बालोतरा जिला बाड़मेर के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत परिवाद प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि गैर सायल बदमाश व जुआरी प्रवृत्ति का व्यक्ति है इसकी आपराधिक प्रवृत्तियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है जिस पर अंकुश लगाना निहायत ही जरूरी है। इसके जुर्म से कस्बा बालोतरा की आम जनता परेशान है, उक्त गैर सायल सार्वजनिक स्थान पर ताश के पत्तों पर रुपये का दाव लगाकर जुआ खेलता है जिससे एक को लाभ व अन्य को हानि होने से आपस में प्रायः मारपीट व झगडे होते रहते हैं जिससे सामान्य जन जीवन अस्त व्यस्त होता है। उक्त शक्स गैर सायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 2 के खण्ड (v) में परिभाषित श्रेणी में आता है। इसके विरुद्ध निम्न मुकदमे दर्ज होकर निस्तारित हुए हैं—

अपर जिला मजिस्ट्रेट  
(ए.डी.एम.) बाड़मेर

क्र. सं.	मु. नं. व दिनांक	धारा	पुलिस थाना	चालान नं. व दिनांक	न्यायालय निर्णय
1	335 / 18.08.09	13 RPGO Act	बालोतरा	233 / 25.08.09	सजा / 13.10.09
2	019 / 12.12.11	13 RPGO Act	बालोतरा	002 / 18.01.12	सजा / 07.02.12
3	247 / 06.06.11	13 RPGO Act	बालोतरा	126 / 16.06.11	सजा / 29.07.11
4	329 / 29.07.11	13 RPGO Act	बालोतरा	181 / 31.07.11	सजा / 12.10.11
5	643 / 23.12.12	13 RPGO Act	बालोतरा	311 / 23.12.12	सजा / 16.05.13
6	119 / 18.03.13	13 RPGO Act	बालोतरा	053 / 21.03.13	सजा / 16.05.13
7	607 / 20.12.13	13 RPGO Act	बालोतरा	340 / 21.12.13	पैण्डिंग कोर्ट
8	002 / 01.01.14	13 RPGO Act	बालोतरा	020 / 31.01.14	पैण्डिंग कोर्ट
9	171 / 01.05.16	13 RPGO Act	बालोतरा	086 / 06.05.16	पैण्डिंग कोर्ट

उक्त अपराधिक प्रकरणों के आधार पर गैर सायल को बाड़मेर जिले से बाहर निष्कासन किये जाने का निवेदन किया।

- हमने प्रकरण पंजीबद्ध कर, गैर सायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(1) के तहत नोटिस जारी किया। गैर सायल ने दिनांक 28.02.2018 को नोटिस का जवाब पेश कर जाहिर किया कि गैर सायल किसी भी गिरोह का सदस्य नहीं है तथा न ही किसी गिरोह के मुखिया के रूप में अपराध करने का अभ्यस्त हैं। गैर सायल ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिससे आम जन गैर सायल के अपराध की वजह से डरी व सहमी हुई है। सायल की ओर से गैर सायल के विरुद्ध एकदम झूठा व नाहक परेशान करने की नीयत से यह परिवाद प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी के विरुद्ध वर्ष 2009 से 2016 के दौरान दर्ज हुए 9 मुकदमों के बाद कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। इस प्रकार गैर सायल की कोई भी गतिविधि राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 2(ख) की उप धारा 7 व 8 के अन्तर्गत नहीं आती हैं। अतः गैर सायल के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही निरस्त फरमाई जाए।
- हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी एवं न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया। विद्वान अभियोजन अधिकारी बाड़मेर का यह तर्क है कि गैर सायल आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होना पाया गया है, इसके विरुद्ध 13



अपर जिला मजिस्ट्रेट  
(ए.डी.एम.) बाड़मेर

RPGO Act के 09 अपराध दर्ज हुए हैं जिसमें 06 मुकदमों में न्यायालय द्वारा जुर्माना से दण्डित किया गया है एवं 03 पैण्डिंग कोर्ट हैं। अभियोजन अधिकारी के तर्कों का खण्डन करते हुए विद्वान अधिवक्ता गैर सायल का तर्क है कि पुलिस इस्तगासा में गैर सायल के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों में लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकारोक्ति पर मामूली जुर्माना आरोपित किया गया है, इसके अलावा कोई प्रकरण भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य अधिनियम के तहत बाड़मेर या इसके बाहर किसी भी थाना में दर्ज नहीं हुआ है और न ही गैर सायल को दोषी ठहराया गया है। इसलिये गैर सायल के विरुद्ध कार्यवाही निरस्त की जाए।

4. हमने उभय पक्ष की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि गैर सायल के विरुद्ध धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 का आरोप है राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 2 के खण्ड (v) के अनुसार राजस्थान पब्लिक गेम्बलिंग अध्यादेश, 1949 (1949 का राजस्थान अध्यादेश संख्या 48) के अधीन कम से कम दो बार सिद्ध दोष ठहराया जाने पर एवं इस धारा में दिये गये स्पष्टीकरण अनुसार अपराध या कार्य करने का दोषी पाया गया हो तो ही उक्त अधिनियम के तहत उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रावधान है। सायल द्वारा प्रस्तुत परिवाद अनुसार गैर सायल के विरुद्ध 09 आपराधिक प्रकरण दर्ज होकर 06 प्रकरणों में सम्बन्धित न्यायालय द्वारा जुर्माना अधिरोपित करते हुए निर्णय किये जाना अंकित किया है किन्तु न्यायालय आदेश की प्रतियाँ साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत नहीं की गईं। इसके बाबत अधिवक्ता गैरसायल का कथन है कि उक्त प्रकरण लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकारोक्ति द्वारा निस्तारित हुए हैं। सायल की ओर से गैर सायल के विरुद्ध वर्ष 2015 के बाद कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज होने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, न ही गैरसायल के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य किसी अधिनियम के तहत अपराध का प्रकरण दर्ज होना रेकॉर्ड पर नहीं आया है। ऐसी स्थिति में अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य



अपर जिला मजिस्ट्रेट  
(ए.डी.एम.) बाड़मेर

के आधार पर गैर सायल के विरुद्ध आरोपित, आरोप अधिनियम धारा 2 के खण्ड (ख) के उपखण्ड (v) एवं स्पष्टीकरण में वर्णित अनुसार दोनों स्थितियां विद्यमान होना प्रमाणित नहीं पाया जाता है। ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष गैर सायल को जिले से बाहर निष्कासित किये जाने का कोई सबूत प्रमाणित नहीं हुआ है। अतः गैरसायल के विरुद्ध जारी नोटिस धारा 3(1) खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राकेश कुमा शर्मा)  
अपर जिला मजिस्ट्रेट,  
बाड़मेर  
अपर जिला मजिस्ट्रेट  
(ए.डी.एन.) बाड़मेर

